



कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़

(उ. प्र. नगर एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत)

भवन निर्माण स्वीकृति पत्र

संख्या.....144...../ दि. एस./पत्रावली सं० 477/15 (2015-2016) दिनांक 29-9-16
 श्री/श्रीमती/कुमारी नरेश कुमार सागवान पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री स्व. श्री काली चरण सिंह
 निवासी मोहल्ला 301, तृतीय तल परागमल अपार्टमेंट निर्माणाधीन स्थल: असदपुर ब्यापार सागवान सिटी अलीगढ़ को निम्न
 शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है। सैक्टर 15 नौहडा

-: शर्तें :-

1. निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्र के अनुसार किया जाएगा। कटे हुए भाग पर निर्माण अमान्य है।
2. निर्माणित का कोई भी भाग सरकार अथवा नगर पालिका की भूमि का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा और न वह उस पर प्रोजेक्ट करेगा।
3. निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा।
 (क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि
 (ख) भवन निर्माण कर्ता का यह दायित्व होगा कि निर्माण प्रारम्भ करने के प्रत्येक 15 दिन के बाद प्राधिकरण स्टाफ से स्थान निर्माण की जाँच करवाये।
 (ग) स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण पूर्ण हो जाने पर गृह प्रवेश के पूर्व प्राधिकरण को सूचित करेगा।
4. मानचित्र में जो भाग गिराये जाने हेतु दर्शाया गया है पहले उसे गिरायेगा उसके बाद नया निर्माण प्रारम्भ करेगा।
5. दी गई अनुज्ञा 5 वर्ष के लिये मान्य होगी तथा इस अवधि में यदि निर्माण पूर्ण नहीं होता है तो 1-1 वर्ष के लिये 3 समयवृद्धियाँ प्रदान की जायेगी, परन्तु यह वृद्धि उक्त समय के लिये लागू नियमों के अधीन होगा। स्वीकृति अवधि के पश्चात किया गया निर्माण अवैध समझा जायेगा।
6. जो भाग गिराया जाना है उसकी मरम्मत नहीं की जायेगी।
7. कोई भी नई बनाई/पुनः बनाई गई या रद्दोबदल की गई इमारत के पूर्ण भाग/किसी भी भाग में उक्त समय तक रहने की अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसा करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र न दिया जाय जिसमें यह लिखा हो कि यह इमारत सब प्रकार की उपविधियों की पूर्ति करती है और यह रहने योग्य है।
8. निर्माण का उपयोग केवल उसी रूप में किया जायेगा कि जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।
9. भू-स्वामित्व तय करने का उत्तरदायित्व विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। विवाद होने पर सम्बन्धित पक्ष दीवानी न्यायलय में स्वामित्व तय करावेंगे।
10. यह स्वीकृति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचनार्थ अभिलेखों के आधार पर दी जा रही है, प्रस्तुत सूचना आदि के गलत होने पर मानचित्र नरस्त माना जायेगा।
11. उपरोक्त निर्माण इण्डियन इलेक्ट्रिक सिटी रूल 1958 के नियम 79 व 80 के अनुसार किया जायेगा, और इस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
12. प्रत्येक 100 वर्ग मी. भूखण्ड के क्षेत्रफल पर 2 वृक्ष लगाने होंगे।
13. रूप टॉप रैन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
14. नगर भूमि सीमारोपण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद का दायित्व प्राधिकरण का नहीं होगा।
15. बहुमंजिली इमारतों अथवा ऐसी इमारतों जिनमें जिनमें पफायर बिग्रेड के अनपत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, में फायर बिग्रेड की लगाई गई शर्तों का अनुपालन भवन निर्माण कर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे भवनों में शमन किये जाने की स्थिति में अथवा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की स्थिति में पफायर बिग्रेड से अनापत्ति आवश्यक होगी।
16. निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त निर्माण कर्ता द्वारा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।
17. यदि निर्माण अन्य राजकीय कार्यालयों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के उपरान्त स्वीकृत किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे समस्त राजकीय कार्यालय द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन स्थल पर निर्माण किया जायेगा।
18. शासन द्वारा अधिगृहीत की गयी भूमि पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
19. प्रार्थी के द्वारा कुल देयताएँ रु. 2310694/- (रु. शब्दों में) दस लाख दस हजार दस सौ और नव सपत्त मात
2261914 + मज 48780 = 2310694 = 00
 प्राधिकरण कोष में जमा कर दी गयी है। 2261914 + मज 48780 = 2310694 = 00
20. पलाईएश आधारित उत्पादों का उपयोग आवश्यक है।
1. अवर अभियंता श्री निमेष गुप्ता सहायक अभियंता/स.न.नियोजक श्री श्री. एस. भदौरिया एवं
 अधिशासी अभियंता श्री ... को इस आशय से प्रेषित कि निर्माण अभियमित न हों पायें।
2. भवन निर्माण भू-कम्परोधी होगा एवं नेशनल बिल्डिंग कोड में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप करना होगा।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र की प्रति रखना अनिवार्य है।
4. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र संख्या भवन के मंजिलों की संख्या भवन स्वामी/निर्माणकर्ता व आरकीटैक्ट आदि से सूचनाओं सहित बोर्ड लगाना आवश्यक है।

